2020/00145

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थी:– गीतादेवी पत्नी स्व0 नेमीचन्द जाति जाट निवासी सूपका तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण:– भंवराराम पुत्र स्व0 पीथाराम जाति जाट निवासी सूपका, तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...**28** ...सन्–.....**2020**..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
24.06.2020	प्रार्थी गीतादेवी पत्नी स्व0 नेमीचन्द जाति जाट निवासी सूपका तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण भंवराराम पुत्र स्व0 पीथाराम जाति जाट निवासी सूपका तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा ने पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद सूपका के खसरा सं0 351, 542/352 में अनुसूची ''अ'' में दर्शित मार्क एक्स से वाई में किसी प्रकार का रास्ता न तो स्वयं कायम करें तथा न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक **04.08.2020** को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
4/8/20	पत्रावली पेश हुई। ... P.O. ... अवकाश, ... हैं, मिसल अन्य कार्य। ... दिनांक 13/8/20 को पेश हो। अप्रार्थी सं. 5,6,8, 15,16,18,27,28,30 की तरफ से वकील श्री महेन्द्र पिचलेरी ने वकालतनामा व जवाब पेश किया।	

हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मल इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	24.12.25 पत्रावली पेश हुई । श्री मान P.O. का अवकाश / अन्य कार्य / दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 23.02.26 को पेश हो राजेश 23/2/26 पत्रावली पेश हुई मौखिक आदेश कि पालना मे पत्रावली वास्ते तलबि हेतु दिनांक 15/5/26 को पेश हो। [signature] 15.5.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिनी उप०। प्रार्थिनी व वकील प्रार्थिनी को अप्रार्थीगण की तामिली रिपोर्ट पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद तामिली रिपोर्ट पेश न करने पर पत्रावली O-9 R-5 CPC के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	